क्रमांक 39/18/89-6जी0एस0-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त अम्बाला एवं हिसार मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 3-8-1989

विषय :— सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी व अन्य सुविधायें प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 16/21/88-6 जी0एस0-II, दिनांक 3-11-88 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में जिन केसों में मृतकों के आश्रितों को श्रेणी I व II के पदों पर लगाया जाना प्रस्तावित हो उन केसों में मुख्य मन्त्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करके मन्त्री परिषद के सम्मुख वही प्रशासकीय विभाग ज्ञापन ले जायेगा, जिसके अधीन मृतक के आश्रित को नियुक्ति दी जानी है परन्तु ऐसे मामलों में सम्बन्धित विभाग द्वारा मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं-II शाखा) की मन्त्रणा भी अवश्य प्राप्त करनी होगी और उसे मन्त्री परिषद के सम्मुख विचारार्थ अनुमोदनार्थ पेश किये जाने वाले ज्ञापन में शामिल किया जायेगा ।

इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये और इन्हें अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के नोटिस में ला दिया जाये ।

हस्ता/—

उप सचिव, प्रोटोकोल,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी प्रेषित है ।

हस्ता/—

उप सचिव, प्रोटोकोल,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।